न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2014/00025

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्योनारायण
2. राधेश्याम
3. हरिओम पिसारान गोपाल जाति मली निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. सोसर बाई बेवा गोपाल जाति माली निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. पैरोकार सरकार, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा में कुल 03 किता की 3.78 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि दिनांक 11.08.1976 को सीलिंग में अधिग्रहित की गई थी तथा सीलिंग सिवायचक खाता सरकार दर्ज की गई थी । सीलिंग में अधिग्रहण करने के पश्चात् वादीगण के पिता को उक्त भूमि दिनांक 18.12.1976 को आवंटित की गई और आवंटन के बाद कब्जा संभलाया गया तब से उक्त भूमि पर वादी के पिता जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । सीलिंग में अधिग्रहित भूमि कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के नियम 19 के अनुसार खातेदारी टीनेन्सी के आधार पर आवंटित की जाती

है और आवंटन की राशि जमा करते ही आवंटी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.03.2010 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2010 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 04.04.2013 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.02.2014 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर कुल रकबा 3.78 हैक्टर में से 0.22 हैकटर रकबा कम करते हुए शेष 3.56 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट जरिये तहसीलदार लाडपुरा ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बोरखेडा नगर निगम क्षेत्र में है । राज0 सरकार के उपनिवेशन विभाग के पत्र कमांक 4 (4) उप0/91 दिनांक 04.07.2003 के अनुसार मास्टर प्लान के पेराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर खातेदारी सनद पर रोक है । राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खातेदारी संभव नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज थी । परीक्षण न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टगण को खातेदार घोषित किया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उपनिवेशन विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2003 के अनुसार मास्टर प्लान के पैराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के अन्तर्गत आने वाली भूमि का राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खातेदार प्रदान नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण ने हक घोषणा का दावा सरकार के खिलाफ यह कथन करते हुए पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज काश्त हैं । आराजी सीलिंग में अधिग्रहित होने के उपरान्त सन् 1976 में वादीगण के पिता गोपाल जी को आवंटित की गई थी और कब्जा दिया गया था । आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार आवंटन राशि जमा करने पर प्राप्त हो जाते हैं । कोई राशि जमा होने से शेष नहीं है । अतः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 11.03.2010 को वादीगण का दावा खारिज किया था और इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.04.2013 को प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया था । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । अपीलान्ट की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.07.2003 के अनुसार मास्टर प्लान पैराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के अन्तर्गत जो आराजी आती है उसमें खातेदारी अधिकार बिना राज्य सरकार की अनुमति के प्रदान नहीं किये जा सकते । रेस्पोडेन्ट के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु हक घोषणा का दावा पेश किया है जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट वादीगण को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी प्रार्थना पत्र का विधिक परीक्षण कर उस पर उचित कार्यवाही कर सकते हैं । गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु हक घोषणा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेश नहीं किया जा सकता ।

10. परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की थी जिन पर संक्षेप में विवेचन किया जा रहा है :–

1. तनकी नम्बर – 1 :– **आया कि क्या वादीगण ग्राम बोरखेडा स्थित वादग्रस्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी टिनेन्ट दर्ज करवाने के अधिकारी है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । परीक्षण न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय किया है । वादग्रस्त आराजी पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श– 1 वादग्रस्त आराजी श्योनारायण, राधेश्याम, हरिओम पुत्र गोपाल और सोसर बाई बेवा गोपाल की गैर खातेदारी में दर्ज है । गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वादी को आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन नियमों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए न कि हक घोषणा का दावा/आवंटन अधिकारी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विधिक परीक्षण कर उस पर उचित निर्णय ले सकते हैं । गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता है । तद्नुसार यह तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है । परीक्षण न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है ।

2. तनकी नम्बर – 2 :– **क्या वादग्रस्त भूमि पेराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के अन्दर स्थित होने से वादीगण को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है जैसा कि तनकी नम्बर 01 के विवेचन में यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होना चाहिए न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत हक घोषणा का दावा । आवंटन

अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्य सरकार के निर्देशों के कम में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का परीक्षण पर उस पर उचित निर्णय लें । गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता । तद्नुसर इस तनकी का निस्तारण किया जाता है ।

3. तनकी नंम्बर – 3 :– **सहायता** :– तनकी नम्बर 01 वादी के खिलाफ तय की गइै है तद्नुसार दावा वादी खारिज होने योग्य है । परीक्षण न्यायालय ने दावा वादी स्वीकार कर डिक्री करने में त्रुटि की है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2014 निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2014/00025

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्योनारायण
2. राधेश्याम
3. हरिओम पिसारान गोपाल जाति मलाी निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. सोसर बाई बेवा गोपाल जाति माली निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2014 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 67/दावा/2013

1. श्योनारायण
2. राधेश्याम
3. हरिओम पिसारान गोपाल जाति मलाी निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. सोसर बाई बेवा गोपाल जाति माली निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से पैरोकार सरकार एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2014 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

23/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा